(५५)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : 30 PBR/2009 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 24-10-2008 - पारित द्वारा - अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर - प्रकरण क्रमांक 13/1985-86 अपील

पन्नालाल बल्द प्रताप सिंह लोधी ग्राम साजन की
महू खुर्द परगना मुंगावली जिला अशोकनगर ---आवेदक

विरूद्ध

1- श्रीमती मुन्नीवाई पत्नि सालकराम
2- महेन्द्रकुमार पुत्र सालकराम
3- हरीप्रकाश पुत्र सालकराम
4- राजू पुत्र सालकराम
5- भवनी प्रसाद पुत्र जगन्नाथ
6- चुन्नीलाल पुत्र रतनलाल
7- गोरीशँकर पुत्र कोमल प्रसाद
सभी ग्राम साजन की मउ खुर्द
तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर ---असल अनावेदकगण
8- श्रीमती शांतिवाई पत्नि श्रीराम
9- सुरेश 10- दयाराम पुत्रगण श्रीराम
तीनों ग्राम साजन की मउ खुर्द
तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर ---फार्मल अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन)

आ दे श

(आज दिनांक 07-12-2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 13/85-86 अपील में पारित आदेश दिनांक 24-10-08 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम साजन की मउ स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 65 रकबा 0-815 हैक्टर पर राजस्व निरीक्षक ने ग्राम की नामांत्रण पंजी के सरल क्रमांक 41 पर आदेश दिनांक 30-9-1984 से नामान्तरण किया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली द्वारा प्रकरण क्रमांक 54/1985-86 अपील में पारित आदेश दिनांक 23-7-1987 से राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया नामान्तरण निरस्त कर दिया तथा प्रकरण समस्त हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई कर पुर्नआदेश हेतु प्रत्यावर्तित किया। अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली के आदेश दिनांक 23-7-1987 के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण क्रमांक 13/85-86 अपील में पारित आदेश दिनांक 24-10-08 से अपील अस्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को यथावत् रखा। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों को सुना। आवेदक के अभिभाषक ने बहस दिनांक 23-10-18 को 7 दिवस के भीतर लिखित बहस देने का आवश्सन दिया, किन्तु उनकी ओर से लिखित बहस अप्राप्त है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों , पक्षकारों के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्क एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख पर विचार करने से परिलक्षित है कि राजस्व निरीक्षक वृत्त-1 ने ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 41 पर सिविल जज कोर्ट मुंगावली के आदेश दिनांक 3-7-83 के अनुसार श्रीमती शांति वाई, सुरेश चंद, दयाराम के नाम की भूमि सर्वे क्रमांक 65 रकबा 0.815 हैक्टर पर आवेदक का नामान्तरण किया है। नामान्तरण पंजी पर दिये गये इस आदेश को अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली ने आदेश दिनांक 23-7-87 से इस आधार पर निरस्त किया है -

> **राजस्व निरीक्षक द्वारा धारा 110 भू राजस्व संहिता के अंतर्गत विहित प्रकिया का कोई पालन नहीं किया गया है। भूमि में हित रखने वाले व्यक्तियों को न तो कोई सूचना दी गई है और न पंजी का प्रकाशन ही किया गया।**

अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली के आदेश दिनांक 23-7-87 को अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने भी पुष्टिकृत किया है क्योंकि भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 110 के अंतर्गत बने नामान्तरण नियमों के अनुसार हितधारी व्यक्तियों को

व्यक्ति सूचना देना अनिवार्य है। अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली व्दारा प्रकरण के प्रत्यावर्तित करने के फलस्वरूप दोनों पक्षों को लेखी एंव मौखिक दस्तावेज प्रस्तुत कर पक्ष रखने का उपचार प्राप्त है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅंजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती हे एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्र0क्र0 13/85-86 अपील में पारित आदेश दिनांक 24-10-08 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर